

12/10/17

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट हाजिर नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे पता कि दि. 19-1-16 को पत्रावली न्यायलय हाजा में दर्ज रजिस्टर्ड हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड करे करीब 1 वर्ष 3 माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है। तथा वकील अपीलान्ट को हलकी पेश करने की हिदायत भी दी गयी, परन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा हलकी पेश नहीं की गयी। जो पत्रावली


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सुरतगढ़

की फर्द आदमाग से दर्ज है।

पत्रावली का चिह्न मन्त्र करने पर स्पष्ट हो रहा है कि आपीलान्त आपनी आपीला से प्रति कर्तई गंभीर नहीं है। तथा लम्बे समय से न्यायलय का समय जापा कर रहा है।

अब आपीला आपीलान्त लिखित पत्रिका संदित के आदेश 9 विधा 2 के तहत खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसला सुमां क्षेत्र नाम्बर से काही जाकर दाखिल दफ्तर से। निष्पि खुते न्यायलय से सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर 0.17
सुरतगढ़ 12